राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांकः–ई–20 / r-20/nursing/court case/ajmer-29532 / 2025 / 184 दिनांकः–17/09/2025

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर।
2. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर / बीकानेर / टोंक।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एसबीसिविल रिट संख्या 21955 / 2019 रामचरण शर्मा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भः– निदेशालय के पत्र कमांक 1195 दिनांक 16.08.2018, 683 दिनांक 16.08.2019 478 दिनांक 08.06.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा टोंक जिले में कार्यरत नर्सिंग अधिकारियों के बकाया वेतन आहरण हेतु स्वीकृति प्रदान कर वेतन भुगतान हेतु निर्देशित किये जाने के उपरांत भी वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एसबीसिविल रिट संख्या 21955 / 2019 रामचरण शर्मा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 द्वारा याचिकाकर्ताओं को बकाया वेतन भुगतान विलम्ब से होने पर देय तिथि एवं विलम्ब तिथि अवधि का 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के आदेश पारित किये गये।

अतः प्रशासनिक विभाग द्वारा निदेशालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरांत भी याचिकाकर्ताओं को तत्समय वेतन भुगतान में विलम्ब होने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी / कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब अवगत कराना सुनिश्चित करावें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर
दिनांकः–17/09/2025

क्रमांकः–ई–20 / r-20/nursing/court case/ajmer-29532 / 2025 / 184

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग राज. सरकार को उनकी आई.डी. कमांक 152500363 दिनांक 06.03.2025 के क्रम में।
3. सयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन–अजमेर।
5. उप विधी परामर्शी मुख्यालय।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को उनके पत्र कमांक 85 दिनांक 22.01.2025 के कम में भेजकर लेख है कि एसबीसिविल रिट संख्या 21955 / 2019 रामचरण शर्मा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में सम्मिलित उपरोक्त 09 याचिकाकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य कार्मिक सुशीला मीणा को ब्याज भुगतान के प्रस्ताव भिजवाये जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत करावें।
7. सम्बन्धित याचिकाकर्ताओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी आईटी सैल, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित अधिकारियों को ई–मेल से भिजवावें।
9. आदेश / रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :16-04-2025 03:56:43

RajKaj Ref No.: 14624508